



STATE INFORMATION COMMISSION, HARYANA,
SCO NO. 114-115, SECTOR 8-C, CHANDIGARH-160009.
TELEPHONE NO. 0172-2722115, FAX No. 0172-2720114.
Email : ussichry@yahoo.co.in, Website : www.cicharyana.gov.in

To No. 14611 /SIC/2021/1-IA

- 1 State Public Information Officer-cum-Secretary, District Red Cross Society, Hisar.
- 2 Dr. Sandeep Kumar Gupta,
1722, Sector-14, Hisar-125001.
Email id. drsandgupta@gmail.com

Dated Chandigarh the 22/6/2021

Subject:- SCN No. 2049 of 2020 in Complaint Case No. 577 of 2020 under Section 20(1) of the RTI Act, 2005.

In Continuation of the Commission's letter no. 10483/SIC/2020/5-IA dated 30.4.2021 on the subject noted above.

It is intimated that the above said case which was earlier fixed for 28.5.2021 has now been adjourned for hearing on **26.7.2021 at 11:00 A.M. in State Information Commission, Haryana, SCO No. 114-115, Sector 8-C, Chandigarh.** You are, therefore, required to appear in person before the bench of **Shri. Jai Singh Bishnoi, State Information Commissioner, Haryana**, on the above said date and time.

Assistant Registrar
for State Information Commission,
Haryana

जनसूचना अधिकारी, सचिव,
जिला रेडक्रॉस सोसायटी, हिसार।

प्रेषित -

माननीय राज्य
एस.सी.ओ. नं. (सचिव),
114-115, सैवर्ग मार्ग,
चण्डीगढ़।

RC/2020-21/962

Dt - 08-10-2020

विषय:

Notice under section 18(2) of the Right to Information Act, 2005.

संदर्भ:

पत्र क्रमांक-15202/एस.आई.सी./2020/1-IA दिनांक-28/08/2020 Complaint
No. 577 of 2020 व 17159/SIC/2020/1-1A Dated 15.09.2020 की अनुपालना में।

श्रीमान् जी,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में केस सं.-577 of 2020 के अनुसार राज्य जन सूचना आयुक्त के आदेश दिनांक-28/08/2020 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा डॉ. संदीप कुमार गुप्ता को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-आर.सी./1029 दिनांक-16/12/2019 तथा पत्र क्रमांक-आर.सी./2020-21/770 दिनांक-27/08/2020 के तहत सूचना प्रेषित कर दी गई थी। प्रार्थी को समय-समय पर प्रेषित की गई सूचना की फोटोप्रति पेज नं.-01 से 29 तक आपकी सेवा में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-815 दिनांक-03/09/2020 के तहत प्रेषित कर दी गई है।

आपके कार्यालय के नोटिस क्रमांक-17159/SIC/2020/1-1A Dated 15.09.2020 की अनुपालना में पुनः प्रेषित की गई सूचना की प्रति पेज नं.-01 से 29 आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-पेज नं.-1 से 29

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रॉस सोसायटी, हिसार।
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

qc

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar

जनसूचना अधिकारी-कम्-सचिव
जिला विकास सोसायटी, हिसार।

जनसूचना राज्य सूचना आयोग,
कक्षा नं-70-71 (प्रथम तल),
114-115, सेक्टर-8सी, मध्यमार्ग,
जयपुर।

RC/2020-2/875

87 - 03/9/2020

Notice under section 18(2) of the Right to Information Act, 2005.

पत्र क्रमांक-15202/एस.आई.सी./2020/1-1A दिनांक-28/08/2020 Complaint
No. 577 of 2020 की अनुपालना में

श्रीमान् जी,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में केस सं-577 of 2020 के अनुसार राज्य जन सूचना आयोग के आदेश दिनांक-28/08/2020 की अनुपालना में आपको अनुरोधपूर्वक अवगत करवाया जाता है कि प्रार्थी डॉ. संदीप कुमार गुप्ता को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-आर.सी./1029 दिनांक-16/12/2019 तथा पत्र क्रमांक-आर.सी./2020-21/770 दिनांक-27/08/2020 के तहत सूचना प्रेषित कर दी गई थी। प्रार्थी को समय-समय पर प्रेषित की गई सूचना की फोटोप्रति पेज नं.-01 से 29 तक आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-पेज नं.-1 से 29।

Rahil

जनसूचना अधिकारी-कम्-सचिव,
जिला विकास सोसायटी, हिसार।
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

R

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

①

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेट अथोरिटी,
हिसार।

पत्र क्रमांक-RC/2020-21/781 दिनांक 28/8/2020

विषय : Seeking of information under RTI act.

संदर्भ : पृ क्रमांक-68 दिनांक-29/07/2020

उपरोक्त विषय के संदर्भ के तहत आपको अनुरोधपूर्वक अवगत करवाया जाता है कि राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार के कार्यालय। पत्र क्रमांक-126 दिनांक-11/11/2019 के तहत स्थानांतरित होकर सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थी का आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था। इसके प्रतियुत्तर में प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-1029 दिनांक-16/12/2019 के तहत सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके उपरांत नगराधीश एवं जन सूचना अधिकारी उपायुक्त कार्यालय हिसार के पत्र क्रमांक-1906-08 दिनांक-18/06/2020 के तहत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पुनः इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-770 दिनांक-27/08/2020 के तहत प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई है। प्रार्थी को समय-समय पर प्रेषित सूचना की छायाप्रतियां अधिकारी महोदय की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक 28/8/2020

Rajinder

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

etc

Rajinder
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Rajinder
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

प्रेषक -

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव
जिला रेडक्रॉस सोसायटी

प्रेषित -

श्री सदीप कुमार गुप्ता,
मकान नं.-1722, सेक्टर
हिसार-125001

पत्र क्रमांक-RC/2020-21/770 दिनांक 27/8/2020

विषय : Seeking of information under RTI act.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप द्वारा मांगी गई कांछित सूचना निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Particulars	Answer
2.	Bank account details (account number, account holder name, bank name, IFSC code) in which the amounts collected as application fee or as additional fee under RTI act are deposited by your office.	कृपया इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करे कि आप द्वारा संस्था के खाते का विवरण किस उद्देश्य से मांगा जा रहा है।
3.	Certified details of the SPIOs/AAs appointed under RTI act to deal with the applications received in you? office	जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव जिला रेडक्रॉस सोसायटी हिसार।
4.	Please supply the certified copy of the documents showing procedure followed (proposals, file noting, advertisements, tenders, quotations, proceedings, minutes, correspondence, orders, allotment letters etc) for allotment of parking space of Red Cross Bhawan, Hisar. The information may be supplied for the period since 01/04/2019.	संलग्न - 1. उपायुक्त महोदय की स्वीकृति-पेज नं.-1 2. अलॉटमेंट पत्र- पेज नं.-2 3. रेडक्रॉस भवन के सामने की जगह।
5.	Please supply the certified copy of the terms and conditions of the allotment of the parking space as mentioned in the Para I above.	क्रमांक सं.-02 में दे दिया है।
6.	Please supply the map of the Vishwakarma Dharmshala, Hisar (adjacent to Red Square Market) and copy of letter of allotment for land for this Dharmshala.	सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
7.	Whether shops built by Vishwakarma Dharmshala (as mentioned in para III) are legal or not? Provide documents in this regard. If illegal, then action taken in the matter If no action taken, name and designation of officials who are responsible to take action.	सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

Fullh

Secretary

Indian Red Cross Society
Dist. Branch Hisar
(Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society

	While applying for driving license in Hisar, every applicant is asked to pay an amount of Rs 400/- on account of getting First aid training. In this regard, please supply the following information against point 8, 9 and 10	
8.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving licence for two-wheeler is required to get first aid training.	1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ का पत्र-पेज नं.-03
9.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for motor car is required to get first aid training.	2. उपायुक्त महोदय की स्वीकृति-पेज नं.-4 व 5
10.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for LMV-NT-Car is required to get first aid training.	3. भारतीय रेडक्रास सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ का पत्र-पेज नं.-06

यह सूचना क्रं.सं.-08, 09 व 10 से संबंधित है।

सलगन पेज नं.-01 से 06

Postal order Receipt No. 82964
27/8/2020

Rishi

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

क्रमांक

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. नगराधीश एवं जन सूचना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त हिसार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. राज्य जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव, भारतीय रेडक्रास सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ को पत्र क्रमांक-94 दिनांक-27/07/2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

Rishi

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा हिसार

7

10

विषय: रेडक्रास परिसर में स्थित पार्किंग स्थल को देने बारे।

रेडक्रास भवन के गेट नं.-2 के अंदर पार्किंग स्थल बनाया हुआ है। जिसको पिछले 3 वर्ष से सर्वोदय हस्पताल व सीएमसी हस्पताल को दी हुई है। जून 2016 से 30 मई 2017 तक का पार्किंग स्थल का किराया 3 लाख 20 हजार रुपये पर दी हुई थी। उपरोक्त पार्किंग स्थल देने बारे तत्कालीन उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति (पताका-क) के अनुसार।

जून 2017 से आगे के लिये यह पार्किंग स्थल लेने बारे सर्वोदय हस्पताल व सीएमसी हस्पताल से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि रेडक्रास भवन के सामने नया पुल बन रहा है। जिसके कारण सामान्य सड़क पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तथा अनुरोध किया है कि आगे भी यह पार्किंग स्थल उपरोक्तवर्णित दोनों हस्पतालों को उपलब्ध करवा दिया जाए। उपायुक्त एवं प्रधान महोदय उचित समझे तो पिछले वर्ष दी गई राशि पर 10% वृद्धि के साथ-साथ टीडीएस इत्यादि अलग से वहन करना होगा व सर्वोदय हस्पताल एवं सीएमसी हस्पताल को पूर्ण स्वीकृति एवं नियम/शर्तों के अनुसार आगामी 3 वर्ष के लिए दे दिया जाए। इस पार्किंग के रख-रखाव हेतु खर्च होता है तो वह उपरोक्त हस्पताल वहन करेगा तथा इसको चलाने हेतु जो भी कर्मचारी इत्यादि की आवश्यकता होगी तो उपरोक्त दोनों हस्पताल स्वयं जिम्मेदार होंगे।

स्वीकृति एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Rahim
30/05/17
सचिव

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

उपायुक्त के रूप कार्यलय में फाइल
संस्था में वापिस प्राप्त हो दिनांक
06/09/2017 का।

DTO for n/a.

Rahim

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Hisar)

Rahim
06/09/17.

Secretary

CONSTITUTED UNDER INDIAN PARLIAMENT ACT XV OF 1920
DISTRICT BRANCH HISAR (HARYANA)

PRESIDENT
SECRETARY

Deputy Commissioner, Hisar
Ravinder Kumar

RED CROSS BHAWAN
DELHI ROAD, HISAR-125001

Phone No. : 01662-225097
Website : redcrossharyana.org

Email : ircs.hissar@gmail.com

No. RC/..... 20/2019

Dated 26/06/19

सेवा में

प्रधानमन्त्री
सर्वोच्च सम्मान, हिमाचल
राज्य
योगावली सम्मान, हिमाचल

विषय : रेडक्रास परिसर में स्थित पार्किंग बारे।

उपरोक्त विषय को संदर्भ में उपायुक्त एवं प्रधान महोदय को स्वीकृति अनुसार आपको रेडक्रास में स्थित पार्किंग एका चर्च के लिए (1.5.2019 से 31.5.2020) तक दी हुई है। इस पार्किंग में निम्न अनुसार देखरेख व अन्य सुविधा की आवश्यकता जितनी होगी।

1. यह है कि यह पार्किंग किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं करेंगे।
2. यह है कि ये उपायुक्त, हिमाचल राज्य निर्धारित शर्तों साईकिल/बिस्का 5/ रुपये, मोटरसाईकिल/स्कुटर -10/ रुपये, कार-जीप व माध्यम वाहन 20 रुपये होंगे। दर लिस्ट पार्किंग स्थल पर लगाया होगा।
3. यह है कि मैं सचिव, जिला रेडक्रास योगावली, हिमाचल द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग का कार्य करूंगा। पार्किंग स्थल से बाहर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही पार्किंग स्थल से संबंधित नहीं करेंगे।
4. यह है कि पार्किंगको अवधि के दौरान सार्वजनिक वाहनों से हटा देना की पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।
5. यह है कि पार्किंगको अवधि के दौरान सार्वजनिक वाहनों से हटा देना की पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यह है कि पार्किंगको अवधि के दौरान सार्वजनिक वाहनों से हटा देना की पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।
7. यह है कि पार्किंग की समय अवधि समाप्त होने ही यह पार्किंग स्थल छाती करनी होगी।
8. पार्किंग स्थल की साफ सफाई रखनी होगी। इसके अतिरिक्त जो भी जगह पार्किंग स्थल के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी उसमें अलग कोई भी जगह पार्किंग के लिए प्रयोग नहीं करेंगे।
9. पार्किंग स्थल के अंदर खड़े वाहनों आदि की चोरी/नुकसान की जिम्मेवारी आपकी होगी। इसमें रेडक्रास योगावली, हिमाचल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
10. पार्किंग स्थल में खड़े होने वाले वाहनों की निर्धारित दरों को अनुसार ही उनसे शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा यदि ज्यादा शुल्क लिया जाय तो होने वाली कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
11. पार्किंग की समय अवधि के दौरान किसी प्रकार के न्यायिक/पुलिस विवाद की जिम्मेवारी आपकी की रहेगी।
12. इस पार्किंग से संबंधित जो भी कोई भी सरकारी/गैर सरकारी कर/फीस की देयता बनती है, उसे वहन करने व संबंधित विभाग को जमा करवाते की जिम्मेवारी आपकी रहेगी।
13. किसी भी विवाद पर उपायुक्त एवं प्रधान महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

Dr. S. J. Singh
POPLI
C.E.O

W. L. D. S. P. I.
Opp. Red

Ka. Lal
सचिव

9 12 3

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
TRANSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH
परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

All VDMs (e)-cum Registration and
Licensing Authorities
in the State.

12334-94

Memo No. AT-3/ST-1

Dated: 28-3-17

Subject: First Aid Training for drivers.

Please refer to St. John Ambulance (India) Haryana State
letter No. St.John/2016-17/3517 dated 03.02.2017 on the subject cited
above.

In this regard, it is apprised that first aid training is
mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per
the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana
Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above
mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor licence.

[Signature]
for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Endst. No. 17395 AT-3/ST-1

dated: 28-3-17

A Copy of above is forwarded to State Secretary, St. John
Ambulance (India) Haryana State Center, Sector-16, Chandigarh for
Information.

[Signature]
for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

Handwritten notes on the left margin:
Handwritten initials and date: E/S/17, 3.3.17 PM

पूर्व पृष्ठ से आगे :-

सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा चालक लाईसेंस हेतु एक दिवसीय प्राथमिक सहायता (Basic) प्रशिक्षण शिविर शुरू करने हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय से 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी फीस की स्वीकृति ले ली गई है। रैडक्रास की सदस्यता बढ़ाने हेतु अधिकारीगण उचित समझे तो इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को रैडक्रास वार्षिक सदस्य 100/- रुपये के साथ लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण फीस 300/- रुपये व रैडक्रास वार्षिक सदस्यता फीस 100/- रुपये कुल-400/- रुपये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से फीस व सदस्यता सहित लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है तथा इस बारे में उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा जिले के उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार, हांसी, बरवाला व नारनांद को पत्र जारी किया जाना है। पत्र हस्ताक्षर हेतु साथ संलग्न है।

रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Arjun Singh
8/9/19
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

~~सचिव~~

~~स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।~~

Rohini
06/09/19.

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

A. B. 2. Put up w. J. Singh

Am
T. S.

[Signature]

DTO/Acett

Rohini

[Signature]

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar

सैंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) हिसार

विषय : PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE

उपरोक्त विषय एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-183 दिनांक-12/02/2019 के तहत सैंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से पत्र व्यवहार करके सूचना मांगी गई थी कि ड्राइविंग लाईसेंस नया व नवीनीकरण के लिए प्रोफेशनल प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण की अवधि बारे बताया जाए। इस संदर्भ में उनके कार्यालय पत्र क्रमांक-5804 दिनांक-22/02/2019 (पताका-क) के तहत इस जिला शाखा को लिखा है कि Proposal for the Rule For Basic First Aid Training for Driving License के प्रशिक्षण हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय जिला सैंट जॉन शाखा हिसार में एक दिन की बेसिक फर्स्ट प्रशिक्षण देने की अनुमति ली जा सकती है। यह प्रशिक्षण केवल ड्राइविंग लाईसेंस के लिए मान्य होगा तथा यह भी दर्शाया गया है कि प्राथमिक सहायता प्रोफेशनल प्रमाण-पत्र इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रार्थी को सैंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

सैंट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा एक दिवसीय बेसिक फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने उपरांत जिला शाखा हिसार द्वारा प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र अपने लेवल पर जारी किया जाए। यह प्रमाण-पत्र केवल ड्राइविंग लाईसेंस से संबंधित ही होगा। इस प्रशिक्षण से संबंधित हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा एक प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र (पताका-ख) हेतु भेजा गया है, प्रोफार्मा का भी अवलोकन करने का कष्ट करें जोकि साथ संलग्न है, के अनुसार ही प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। उपरोक्त प्रशिक्षण जिला शाखा फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर व मुरग्राम में भी शुरू किया हुआ है। राज्य शाखा द्वारा जारी पत्र (पताका-ग) संलग्न है।

अधिकारीगण उचित समझे तो एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण की फीस 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी जिसमें प्रमाण-पत्र की कीमत, प्रवक्ता का मानदेय शामिल होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक-1842-1863 दिनांक-03/07/2019 (पताका-घ) के तहत प्रवक्ता का मानदेय अधिकतम 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति से दिया जा सकता है। यह मानदेय 15/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रस्तावित किया जाता है। हरियाणा राज्य शाखा द्वारा फीस व मानदेय के बारे में और कोई हिदायत जारी होती है तो पुनः उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार के लिए रैडक्रॉस भवन हिसार, उपमण्डल अधिकारी (ना.) नारनौद व हांसी के लिए सहमति अनुसार हांसी व नारनौद में तथा उपमण्डल अधिकारी (ना.) बरवाला के लिए बरवाला में संबंधित उपमण्डल अधिकारी से सम्पर्क करके उचित स्थान देखकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Shikha Singh
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

सचिव

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

Rajinder
26/08/19

Secretary
Indian Red Cross Society
Dist. Branch Hissar
(Haryana)

Rishi
D. D. D.

THROUGH HUMANITY TO PEACE

OHN AMBULANCE (INDIA)

HARYANA STATE CENTRE

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
THE GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman
Dr. Mukesh Aggarwal



State Secretary
D.R. Sharma

Phone (o) 0172 2543889, 2546330

Fax 0172-2546328

(R) 2747031

www.haryanaredcross.org

e-mail: haryanastateredcross@gntail.cc

St. John/Ruling/HR/2018-19/5804

Dated 22-02-2019

Secretary,
District St. John Centre,
Hisar (HR)

528
01/03/19
DTO
Rahul
01/03/19

Subject: PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE.

1. Reference your office letter No. St. John/2018-19/183 dated 12-02-2019 on the subject cited above.
2. It is intimated that you may obtain permission from the Deputy Commissioner-cum-President, District St. John Centre, Hisar for the One Day Basic First Aid Training for the candidates who want to obtain Driving License only.
3. First Aid professional certificates will not be issued to the candidates of this training by the St. John Ambulance (India), National Headquarters, New Delhi. District St. John Centre, Hisar may issue Basic First Aid training certificates to the candidates for Driving License at their own level with the approval of Deputy Commissioner. A copy of the approval may also be sent to this office.

Rahul
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

[Signature]
State Secretary

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

(13)

(16)

ST. JOHN AMBULANCE (INDIA)
HARYANA STATE CENTRE
 RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
 GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
 THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman
 Dr. Mukesh Aggarwal

State Secretary
 D.R. Sharma

Phone : (c) : 0172-2543089, 2546330

Fax : 0172-2546328

(R) : 2747031

www.haryanaredcross.org

E-mail haryanastateredcross@gmail.com



Receipt No. 335
 Date... 27/9/19

731/EC/2019-20/

Dated

All the Deputy Commissioners-cum-Presidents,
 District St. John Centres In Haryana

Subject: Action taken on the minutes of the Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre hold on 30th August, 2019.

It is intimated that Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre was held on 30th August, 2019 under the Chairpersonship of Hon'ble Governor-cum-President, St. John Ambulance ((India), Haryana State Centre, Chandigarh. The minutes of the meeting are being sent separately to all the members of the Managing Committee for information and further necessary action. The action on the following point is to be taken by your goodself as per resolution. You are, therefore, requested to take action accordingly on the point mentioned below and action taken report may be sent to this office for compliance and onward submission to Hon'ble Governor-cum-President:-

Item No.	Proposal	Resolution
----------	----------	------------

8. वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि 15 दिवस प्रतिदिन 12 घण्टों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इसी संदर्भ में सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य राज्य द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा से अनुरोध किया गया था कि सभी वाहनचालकों के लिए प्राथमिक सहायता का अनिवार्य कर दिया जाए ताकि सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके एवं घायल व्यक्ति को भी स्वयं को प्राथमिक सहायता देने में निपुणता हो और यह सदन की हालत में न जाए।

इस कार्यालय के अनुरोध पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 17334-94 A.P-3/ ST-1 दिनांक 28.03.2017 से हरियाणा प्रदेश के सभी उप-मंडल अधिकारी (नाए) एवं पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों को वाहन चालक का लाइसेंस जारी करने पर प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया था।

राज्य सचिव सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र ने सदन को अवगत कराया कि एक विदेशीय प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण प्रस्ताव वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सदन में विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया तथा यह भी पारित किया गया कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला केन्द्रों द्वारा प्रस्ताव एक विदेशीय वैश्विक प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करके सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को अवगत कराएंगे।

Secretary
 Indian Red Cross Society
 Dist. P. Hisar

Secretary
 Indian Red Cross Society
 Dist. Branch Hisar

Contd...2

Indian Red Cross Society

राज्य शासनाचा कसबावाड, पातहावाड, गुरुग्राम, मजीपल, रिवाडी, शज्जर, कुरुक्षेत्र, रोवात, नारनोस
द्वारा आयोजित लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्तियों
के दिवसीय वेलिक प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण
प्रदान किया जाता है जिसको सम्बन्धित जिले के पंजीकरण
एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया है। कुछ
जिलों में सम्बन्धित उप-मंडल अधिकारी (नाओ) एवं पंजीकरण
एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों ने यह कहा कि वे प्राथमिक
सहायता के प्रशिक्षण को वाहन चालकों के लिए तभी
अनिवार्य करेंगे जब प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं
लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)
में शामिल किया जाएगा। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा
परिवहन आयुक्त हरियाणा चन्डीगढ़ को पत्र क्रमांक
St. John/Ruling/2018-19/4608 दिनांक 16 जनवरी
2019 द्वारा सेंट जॉन एन्वेलंस हरियाणा एवं जिला केन्द्रों
द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र को पंजीकरण एवं
लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)
में शामिल करने वाले अनुरोध किया जा चुका है।

ध्यान दें कि यह प्रस्तावित किया जाता है कि परिवहन
विभाग हरियाणा को सभी वाहन चालकों के लिए प्राथमिक
सहायता के प्रमाण पत्र को राज्य परिवहन के पंजीकरण एवं
लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)
में शीघ्र अतिशीघ्र शामिल किए जाने का अनुरोध किया जाए
तथा चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के एक दिवसीय
वेलिक प्रशिक्षण की पूरी निम्नानुसार निर्धारित कर ली
जाए:-

1. दो तीन एवं चार पष्ठिया वाहन चालकों के लिए फीस
300/-रुपए प्रति व्यक्ति।
2. प्रशिक्षण अवधि कम से कम चार तथा अधिकतम छ
घण्टे।
3. वेलिक प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला सेंट
जॉन केन्द्र द्वारा जारी किया जाएगा।
4. वाहन चालकों के लाइसेंसिंग लाइसेंस को पंजीकरण
पर प्राथमिक सहायता का वेलिक प्रमाण पत्र अनिवार्य
होगा।

..... सुमनशं एवं अनुमोदना

Honorarium to the Lay Lecturers has been fixed @ Rs. 15/- per candidate for this one day
basic First Aid training. The specimen of the Certificate for this One Day Basic First Aid Training to be
issued by the District St. John Centre is also enclosed.

SVC
State Secretary

dt 17/09/2019

Copy to - 3237-3258

All Hony. Secretaries, District St. John Centres in Haryana for information and compliance. It
should be ensured that number of candidates in a batch should not be more than 30-40. Before issuing
certificates, the Lay Lecturer will verify the list of candidates after putting his/her seal and signature upon
the list. After then the certificate will be signed by the District Training Officer or Incharge of St. John if
the post of DTO is vacant. It should be ensured if any district will breach the terms and conditions, then
the Hony. Secretary, District St. John Centre will be fully responsible and answerable the same.

Prithvi
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Panchet - Hisar

[Signature]
State Secretary

Prithvi
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Panchet - Hisar

[Signature]
Secretary

15

APPLICATION UNDER THE RTI ACT

District Red Cross Branch
Hlsar

Seeking of information under RTI act

Seeking the following information

Please supply the certified information as required to be published by your office under section 4(1) of the RTI act. The information to be supplied for the period since 01/04/2018 till the date of supplying it. It is to inform that the information available on website www.hisar.gov.in is highly incomplete and is not complete disclosure as mandated by Section 4(1)(g) of the RTI act.

1. Bank account details (account number, account holder name, bank name, IFSC code) which the amounts collected as application fee or as additional fee under RTI act are deposited by your office.

2. Certified details of the RPIO/WAO appointed under RTI act to deal with the application received in your office.

3. Please supply the certified copy of the documents showing procedure followed (proposals, file entry, advertisement, tenders, quotations, proceedings, minutes, correspondence, orders, allotment letters etc.) for allotment of parking space of Red Cross, Hlsar, Haryana. The information may be supplied for the period since 01/04/2018.

4. Please supply the certified copy of the terms and conditions of the allotment of parking space as mentioned in the copy above.

5. Please supply the map of the Vadhavakurda Bhumchakla, Hlsar (adjacent to Red Square Market) and copy of letter of allotment for said location.

6. Whether there is any Vadhavakurda Bhumchakla area enclosed in a wall and kept closed? Provide details in this regard. If so, what has been action taken in the matter. If a action taken, name and designation of officials who are responsible to take action.

While applying for driving license in Hlsar, Haryana, applicant is asked to pay an amount of Rs 400/- on account of getting Form and Forming. In this regard, please supply the following information required point 8, 9 and 10.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hlsar (Haryana)

13

- 1. Attached copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for drive license for two-wheeler is required to get first aid training
- 2. Attached copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for drive license for motor car is required to get first aid training
- 3. Attached copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for drive license for LMV-NT Car is required to get first aid training

The prescribed Application Fee of Rs 10.00 is enclosed by way of IPO payable at Hisar which may be filled in as per rules of your office. The intimation regarding any further additional fee may be sent by email at sandeepguptahsr@gmail.com and by telephone message. The information if possible be sent by email or by speed post or registered post for which the applicant agrees to pay postal expenses.

Regards,

(Signature)

Dr. Sandeep Kumar Gupta
 House No. 1722, Sector 14,
 Hisar-125001. Phone: 99929-31181

Dated 13.06.2020

आम आदमी का अधिकार


भारतीय विशिष्ट पददान समिति



नाम (In Hindi)
 Sandeep Kumar Gupta
 जन्म तिथि/DOB: 04-04-1975
 पता (Address)

पता
 C/O Sandeep 1722-14-
 The Phase 14 Sector 14
 Hisar-125001

Address
 C/O Sandeep No 1722, Sector 14,
 Hisar-125001, India
 Hisar-125001



(Signature)

Secretary
 Indian Red Cross Society, 052 3961
 Dist. Branch, Hisar (Haryana)

8270 4052 3961

आम आदमी का अधिकार

Aam Admi ka Adhikar

POSTMASTER

12-220


POSTAGE STAMPS



भारतीय डाक विभाग
भारत



THE TOTAL OF THE SUM OF RUBBES TEN ONLY



POST OFFICE

Hisar

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

49F 023094

SECRETARY
INDIAN RED CROSS SOCIETY
DR SANDEEP KUMAR

GUPTA, 1722, SECTOR
14, HISAR-125001

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

INDIAN RED CROSS SOCIETY

HISAR DISTRICT BRANCH

No. 82964

Dated 21/08/2016

Received with thanks from Mr. Sandeep Kumar Gupta

117-2, Sector 11, Hisar

the sum of Rupees Ten thousand only

by Cash/Challan/Draft No. 111 423011 Dated

on account of R.C.P.

Rs. 10,000/-

(Receipt Valid subject to clearance of Cheque)

Mukesh
Secretary

RLH
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

R
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

27

19

18/6/20

प्रकृत

नगरपालीक एंव जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपरगुका, हिसार।

प्रति

राज्य जन सूचना अधिकारी,
नगर निगम हिसार।
सचिव रेडक्रास हिसार।
सहायक रजिस्ट्रार कॉमरेटिव सोसायटी हिसार।
क्रमांक No. 08/आरसीओआई/2019 दिनांक 18/6/20

विषय-

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्थानांतरित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर प्रार्थी सन्दीप कुमार गुप्ता का आवेदन दिनांक 12.06.2020 ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो प्रति आपको जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3) के अन्तर्गत स्थानांतरित करते हुए लिखा जाता है कि प्रार्थी द्वारा मंगी गई सूचना नियमानुसार सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध करवाकर दृश कार्यालय को भी सूचित करे। इसका अनिश्चित प्रार्थी द्वारा निर्धारित पीस 10/रू. आंगलाईन जमा कराई है। यदि कोई अतिरिक्त फीस है तो वह आप द्वारा प्रार्थी से सीधे ली जाये।

अधीक्षक

कृ. नगरपालीक एंव जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपरगुका, हिसार।


पू. क्रमांक


/आरसीओआई दिनांक


एक प्रति प्रार्थी डॉ. सन्दीप कुमार गुप्ता मकान न. 1722 सैक्टर-14 हिसार को उनके आवेदन दिनांक 12.06.2020 के संदर्भ में भेज कर लिखा जाता है कि आगामी पत्राचार सम्बन्धित से करें।

अधीक्षक

कृ. नगरपालीक एंव जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपरगुका, हिसार।


Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)


Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar

123
06/8/20

REGISTERED

प्रश्नक

उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेंट अथोरिटी,
हिसार ।

प्राप्त

श्री संदीप कुमार गुप्ता,
निवासी मकान न0 1722, सैक्टर-14, हिसार।
मोबाईल न0. 9992931181

Asstt (S)
Rahin

कमांक /पी0वी0 दिनांक

विषय :

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उपनियम 19 (1) के तहत प्रथम अपील ।

उपरोक्त विषय पर आपकी अपील जो दिनांक 20.07.2020 के सन्दर्भ में ।

आपकी उपरोक्त अपील की निजि सुनवाई के लिए दिनांक 14-08-2020 को दोपहर 2 बजे निश्चित की गई है। आप इस तिथि को उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेंट अथोरिटी के सम्मुख उपस्थित होंगे ।

कृते : उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेंट
अथोरिटी हिसार ।

पू0 कमांक

18

/ पी0वी0

दिनांक 29/7/20

एक प्रति अपील की सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी हिसार को भेजकर अनुरोध है कि आप दिनांक 14-08-2020 को अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय में उपस्थित होंगे तथा इस अपील से सम्बन्धित रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का आवेदन पत्र की प्रति दिनांक 13-08-2020 को इस न्यायालय में भिजवाना भी सुनिश्चित करें ।

कृते : उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेंट
अथोरिटी हिसार ।

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar

Subject: RTI act-Attention Appellate authority under RTI act O/O District Red Cross Branch,

Mon, Jul 20, 2020 09:

From: sandeepgupta1979@gmail.com

Subject: First appeal under RTI act-Attention Appellate authority under RTI act O/O District Red Cross Branch, Hisar

2 attach

To: sics_hisar <sics_hisar@gmail.com>, Dr Priyanaka Soni IAS <dchsr@hry.nic.in>, sics_hr@rediffmail.com

Sir/Madam,

Till date, no information has been supplied against the enclosed RTI application, which was posted on 15.06.2020 delivered on 16.06.2020 (Proof enclosed). Please direct the SPIO concerned to supply information without charging additional fee keeping in view the provisions of Section 7(6) of the RTI act.

Thanking you.

Yours faithfully,

Dr Sandeep Kumar Gupta
House No 1722, Sector 14, Hisar-125001
Phone 99929-31181

CTM/RTI P1
[Signature]
DC
20/07/20

— red cross hisar.pdf
1 MB

— Track Consignment.pdf
277 KB

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

[Signature]
Secretary

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

5

4

श्री संदीप कुमार गुप्ता,
1722, सेक्टर 14, हिसार।

पत्र क्रमांक R/C/2019-20/1029

दिनांक 18-12-19

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरण करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका प्रार्थना पत्र राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना.) हिसार के माध्यम से पत्र क्रमांक-126/आर.टी.आई. दिनांक-11/11/2019 इस कार्यालय को 20/11/2019 को सूचना प्राप्ति हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आप द्वारा मांगी गई सूचना निम्न अनुसार है:-

1. मांगी गई सूचना साथ संलग्न है पेज नं. 1 व 2
2. मांगी गई सूचना साथ संलग्न है पेज नं. 3 व 4
3. दिनांक 13/12/2019 तक एक दिवसीय फर्स्टएड ट्रेनिंग में राशि- 50 लाख 60 हजार 800 रुपये प्राप्त हुई है।
4. Amount Utilized for Various Welfare Activity run by St. John Ambulance Distt. Branch Hisar
5. प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण किरी प्राइवेट एजेन्सी द्वारा नहीं दिया जा रहा। सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा फर्स्टएड की ट्रेनिंग दी जाती है।
6. यह सूचना सेंट जॉन एम्बुलेंस हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई जानी है।

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

दिनांक 16/12/19

1. इसकी एक प्रति राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार को उनके पत्र क्रमांक 126/आर.टी.आई. दिनांक 11/11/2019 इस कार्यालय को 20/11/2019 को प्राप्त हुआ, के तहत सूचनार्थ प्रेषित है।
2. इसकी एक प्रति राज्य सचिव सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ को नेजले हुए अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना क्र.सं.-6 प्रार्थी को सीधी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

JOHN AMBULANCE Haryana

HARYANA STATE BRANCH

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
CHIEF MINISTER, HARYANA

Dr. Mukesh Aggarwal
Vice Chairman



State Secretary
D.R. Sharma

Phone: (o) 0172-2543899, 2548330
Fax: 0172-2546328
(R) 2747031
www.haryanaredcross.org
e-mail: haryanastatredcross@gmail.com

Dated 20/5/18

JOHN/Reging/2018-19/ 2015-2036

DTO

Rajiv
06/06/18

Receipt No. 17/...
Date: 6/6/18

All Hon'y Secretaries,
District St John Centres
Haryana.

Subject: First Aid training for Drivers and Conductors.

It is to inform you that the office of Transport Commissioner, Haryana, Chandigarh has informed to all SDMs (c)-cum-Registering and Licensing Authorities in the State vide their office memo No. 17334-94/AT-3/ST-1 dated 28-03-2017 that First Aid training is mandatory for the issuance of the Driver and Conductor License as per the Motor Vehicles Rules, 1989 and 1993 (copy of letter is enclosed)

2. It has been advised to the SDMs (c)-cum-Registering and Licensing Authorities in all districts of Haryana to adhere the Motor Vehicle Rules at the time of issue of Driver and Conductor license

3. You are also requested to contact with the SDMs (c)-cum-Registering and Licensing Authority of your district to ensure First Aid training to Driver and Conductor before issue of the license

State Secretary

Encl.: As above
Copy to:

The Transport Commissioner, Haryana, 30 Rays Building, 2nd Floor, Sector-17 B, Chandigarh for information with reference to their office endst. No. 17395/AT-3/ST-1 dated 28-03-2017 for information, please

State Secretary

Rajiv
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Rajiv
Secretary,
Indian Red Cross Soc
Distt. Branch - Hisar

R
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

R
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Har)

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
TRANSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH
परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

All DMS (e)-cum Registration and
Licensing Authorities
in the State.

17334-94

Memo No. AT-3/ST-1

Dated: 28-3-17

Subject: First Aid Training for drivers.

Please refer to St. John Ambulance (India) Haryana State
letter No. StJohn/2016-17/3517 dated 03.02.2017 on the subject cited
above.

In this regard, it is apprised that first aid training is
mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per
the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana
Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above
mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor licence.

for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Endst. No. 17395 AT-3/ST-1

dated: 28-3-17

A Copy of above is forwarded to State Secretary, St. John
Ambulance (India) Haryana State Center, Sector-16, Chandigarh for
information.

for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary,
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

28/3/17
PM

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) हिसार

P. No -

PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE

उपरोक्त विषय एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक- 183 दिनांक- 12/02/2019 के तहत सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से पत्र व्यवहार करके सूचना मांगी गई थी ड्राइविंग लाइसेंस नया व नवीनीकरण के लिए प्रोफेशनल प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण की अवधि बारे का जाए। इस संदर्भ में उनके कार्यालय पत्र क्रमांक- 5804 दिनांक- 22/02/2019 (पताका-क) के तहत जिला शाखा को लिखा है कि Proposal for the Rule For Basic First Aid Training Driving License के प्रशिक्षण हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय जिला सेंट जॉन शाखा हिसार में एक को बेसिक फर्स्ट प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रशिक्षण केवल ड्राइविंग लाइसेंस के मान्य होगा तथा यह भी दर्शाया गया है कि प्राथमिक सहायता प्रोफेशनल प्रमाण-पत्र इस प्रशिक्षण के उप प्रार्थी को सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा एक दिवसीय बेसिक फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने उभरति जिला शाखा हिसार द्वारा प्रार्थी को यह प्रमाण पत्र अपने स्तर पर जारी किया जाए। प्रमाण-पत्र केवल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ही होगा। इस प्रशिक्षण से संबंधित हरियाणा राज्य चण्डीगढ़ द्वारा एक प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र (पताका-ख) हेतु भेजा गया है, प्रोफार्मा का भी अवलोकन के का करके जोकि साथ संलग्न है, के अनुसार ही प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। उपरोक्त प्रशिक्षण जिला शाखा फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, पलवल, भैवात, रेवाड़ी, सिरसा व गुरुग्राम में भी शुरू किया हुआ है। राज्य शाखा द्वारा जारी पत्र (पताका-ग) संलग्न है।

अधिकारिगण उचित समझे तो एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण फीस 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी जिसमें प्रमाण-पत्र की कीमत, प्रवक्ता का मानदेय शामिल होगा। इस अतिरिक्त हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक- 1842-1863 दिनांक- 03/07/20 (पताका-घ) के तहत प्रवक्ता का मानदेय अधिकतम 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से उपायुक्त प्रधान महोदय की स्वीकृति से दिया जा सकता है। यह मानदेय 15/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रस्तावित किया जाता है। हरियाणा राज्य शाखा द्वारा फीस व मानदेय के बारे में और कोई हिदायत जारी होती है तो पु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय को सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उपमण्डल अधिकारी (न.) हिसार के लिए रेडक्रास भवन हिसार, उपमण्डल अधिकारी (न.) नारनौद थ हांसी के लिए सहभति अनुसार हांसी व नारनौद में तथा उपमण्डल अधिकारी (न.) बरवाला के लिए बरवाला में संबंधित उपमण्डल अधिकारी सम्पर्क करके उचित स्थान देखकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(म)

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)
सिचव

Judh Singh
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

22/08/19

Palshy
26/08/19

Palshy

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar

विभाग -

सेट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा बालक लाईसेंस हेतु एक दिवसीय
 प्रारम्भिक सहायता (Basic) प्रशिक्षण शिविर शुरू करने हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय से
 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी फीस की म्याकृति ले ली गई है। रैडक्रास की सदस्यता बढ़ाने हेतु
 अधिकारोपगत उचित समझे तो इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को रैडक्रास वार्षिक सदस्य 100/-
 रुपये के साथ लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण फीस 300/- रुपये व रैडक्रास
 वार्षिक सदस्यता फीस 100/- रुपये कुल 400/- रुपये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से फीस व सदस्यता
 सहित लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है तथा इस बारे में उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा जिले की उपमण्डल
 अधिकारी (जा.) हिसार, हांसी, बरवाला व नारनौद को पत्र जारी किया जाना है। पत्र हस्ताक्षर
 हेतु साथ संलग्न है।

रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Handwritten Signature
 5/10/19
 जिला प्रशिक्षण अधिकारी

सचिव

Handwritten Signature
 06/10/19

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय *Handwritten Signature*

Handwritten Signature

Handwritten Signature

Handwritten Signature
 Secretary
 Indian Red Cross Society,
 Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Handwritten Signature
 Secretary
 Indian Red Cross Society,
 Distt. Branch - Hisar

Handwritten Signature

Handwritten Signature

Handwritten Signature
 Secretary
 Indian Red Cross Society,
 Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Handwritten Signature
 Secretary
 Indian Red Cross Society
 Distt. Branch, Hisar
 (Haryana)



Receipt No. 426
20/11/19

सूचना का अधिकार

राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नाओ) हिसार।

संज्ञा में,

सचिव,
जिला रेड क्रॉस सोसायटी,
हिसार।

DTO Rakhi

क्रमांक 136 / आर.टी.आ. दिनांक 11-11-2019

विषय सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के नियम 6(3) के तहत स्थानांतरण करने बारे।

उपरोक्त विषय पर जगदल सचिव कुमार गुप्ता, मकान नं० 1722, सेक्टर-14, हिसार का आवेदन पत्र इस कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से दिनांक 04.11.2019 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा मागी गई सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानांतरण करके आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा मागी गई सूचना प्रार्थी को सीधे प्रदान करके इस कार्यालय को भी सूचित करें। प्रार्थी द्वारा 10/रु को ई-वालन इस कार्यालय में जमा करवाया गया है। संलग्न मूल अनिदन।

राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नाओ) हिसार।

पृ० क्रमांक 1 / आर.टी.आ. दिनांक

इसकी एक प्रति जगदल सचिव कुमार गुप्ता, मकान नं० 1722, सेक्टर-14, हिसार नं० 09929-31101 को सूचनाार्थ प्रेषित है।

R
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (नाओ) हिसार।

R
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

R
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

Gmail

SDM HISAR <sdmhisar1@>

Electronic filing of RTI application-Attention SPIO O/O SDM, Hisar

Message
Sandeep kumar gupta <sandeepguptahar@gmail.com>
To: sdmhisar1@gmail.com

Mon, Nov 4, 2019

Sir,

Please supply the following certified information:

While applying for driving license in Hisar, every applicant is asked to pay an amount of 400/- on account of getting First aid training. In this regard, please supply the information:

1. Certified copy of the rules/regulations based on which the applicants for driving license are asked to pay Rs 400.00 for getting first aid training.
2. Certified copy of the orders of the competent authority for collection of money from applicants for driving licence on account of first aid training.
3. Total amounts collected till date on account of first aid training.
4. Certified details as to how amount collected on account of first aid training has been utilized.
5. Certified copy of the documents showing procedure (proposals, file noting, tenders, advertisements, comparative statements, proceedings, correspondence, approvals & other documents) followed for selection of agency to impart first aid training.
6. Please provide the legal status of organization named as St John Ambulance Society collecting money on account of first aid training.

The application fee of Rs 10.00 has been deposited in Government Treasury electro copy of the challan is enclosed as attachment. The intimation regarding additional fee sent by this email address. the information be supplied by way of speed post or registered or registered parcel whichever is cheapest

Regards,

Dr. Sandeep Kumar Gupta
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

1722, Sector 14, Hisar-125001, INDIA

Phone: 91-99929-31181

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

22

27

29

The State Public information officer-cum-Joint Secretary
O/o Indian Red Cross Society, Haryana State Branch
Chandigarh.

No. RTI-HSR/SPIO/2020/ 94

Dated: 24-07-2020

The Public Information Officer-cum-Secretary,
District Red Cross Branch,
Hisar

*Asstt (S)
Palihar*

Subject - First appeal under RTI Act-Attention Appellate Authority under RTI Act O/o the District Red Cross Branch, Hisar and transfer of application under Section 6(3) of RTI Act, 2005.

This office has been received an RTI application dated 13-06-2020 (Received on 20-07-2020 through e-mail) from Dr. Sandeep Kumar Gupta, House No. 1722, Sector-14, Hisar-125001 M No. 9992931181, which is addressed to the Public Information Officer, District Red Cross Branch, Red Cross Bhawan, Hisar on the subject cited above

The case pertains to your office, therefore, a copy of an RTI application dated 13-06-2020 (containing 06 pages) under section 6(3) of RTI Act, 2005 is being transferred for supplying the information sought by applicant within stipulated period directly to the applicant under intimation to this office, failing which you will be responsible for delay

SPIO-cum-Joint Secret

Encl: Application containing 06 pages

Endst. No. RTI-HSR/SPIO/2020/..... Dated: 24-07-2020.

Copy forwarded to Dr. Sandeep Kumar Gupta, House No. 1722, Sector-14, (Haryana)-125001, M No. 9992931181 w.r.t. your application dated 13-06-2020 (Received on 07-07-2020 through e-mail) for kind information please

SPIO-cum-Joint Secre

R
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

R
Secretary
Indian Red Cross Society,
Distt. Branch, Hisar (Haryana)

R
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar

Receipt No. 2505.....

Date 08/16/2020

30

Asstt
(5)
Rohit

न्यायालय उ
एवं आई0ए0एस0, उपायुक्त
अथोरिटी, हिसार।

अपील नं. 68/आरटीआई/29.07.2020

श्री संदीप कुमार गुप्ता, निवासी मकान नं. 1722, सैक्टर-14, हिसार तहसील व जिला हिसार।

..... अपीलार्थी।

बनाम

राज्य जन सूचना अधिकारी एवं सचिव, रैड क्रॉस सोसायटी, हिसार।

..... रिस्पोंडेंट।

उपरिथत:- अपीलार्थी की ओर से कोई हाजिर न्यायालय नहीं है।

रिस्पोंडेंट की ओर से प्रतिनिधि हाजिर न्यायालय है।

आदेश

इस अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने राज्य जन सूचना अधिकारी एवं सचिव, जिला रैड क्रॉस, हिसार से आवेदन दिनांक 13.08.2020 जो कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था के द्वारा 10 विन्दुओं पर सूचना मांगी थी। अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचना प्राप्त ना होने पर अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपील पेश की है। हर दो पक्षों को हाजिर न्यायालय होने बारे सूचित किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी हाजिर न्यायालय ना हुआ, रिस्पोंडेंट हाजिर न्यायालय है, सुना गया।

रिस्पोंडेंट ने कहा कि अपीलार्थी / प्रार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है परन्तु कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में व्यस्तता के कारण समय पर सूचना ना दी जा सकी जिसके लिये क्षमा याचना है। अपीलार्थी / प्रार्थी को उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक आरसी/2020-21/770 दिनांक 27.08.2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। विन्दु नं. 6 व 7 नगर निगम हिसार से सम्बन्धित है, अपीलार्थी वहां से सूचना प्राप्त कर सकता है तथा सूचना ना मिलने पर सम्बन्धित विभाग की अपीलेट अथोरिटी में अपील कर सकते हैं। अपील में आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, अपील दाखिल रिकार्ड रूम की जावे।

रिस्पोंडेंट को सुना गया व मिसल का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना रिस्पोंडेंट- विभाग ने अपीलार्थी / प्रार्थी को पत्र क्रमांक आरसी/2020-21/770 दिनांक 27.08.2020 द्वारा उपलब्ध करवा दी है। रिस्पोंडेंट को हिदायत की गई कि यह ठीक है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिये सभी विभाग व्यस्त हैं परन्तु यदि सूचना देने में देरी की सम्भावना थी तो उनका दायित्व था कि वह अपीलार्थी / प्रार्थी को इस बारे सूचित करते तथा जो विन्दु (6-7) उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं थे उस बारे अपीलार्थी / प्रार्थी का आवेदन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचित करते। रिस्पोंडेंट को हिदायत की जाती है कि उनके कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निपटान किया जावे ताकि सूचना समय पर ना देने के कारण अपील व सुनवाई में न्यायालय, प्रशासनिक कर्मचारियों / अधिकारियों व आमजन का अनावश्यक समय व्यर्थ ना हो। रिस्पोंडेंट विभाग ने उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना अपीलार्थी / प्रार्थी को प्रदान कर दी है। मौजूदा अपील पर आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, दाखिल रिकार्ड रूम की जाती है। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी, रिस्पोंडेंट व आयुक्त, नगर निगम, हिसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। मिसल याद तकमील व तर्तीय दाखिल रिकार्ड रूम होवे।

आज यह आदेश दिनांक 11.09.2020 को भरी सभा में सुनाया गया।

प्रमाणित

उपायुक्त
राज्य जन सूचना अधिकारी, हिसार

उपायुक्त एवं
प्रथम अपीलेट अथोरिटी,
हिसार।

Secretary

Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hissar

पृ० क्रमांक २४४-१० / पेशी दिनांक ३०/०९/२०२०

आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य जन सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, हिसार को अपीलार्थी/प्रार्थी के आवेदन की छाया प्रति भेजकर अनुरोध है कि बिन्दु नं. 6 व 7 बारे सूचना देने का कष्ट करें।
2. राज्य जन सूचना अधिकारी एवं सचिव, रैडक्रास, हिसार।
3. श्री संदीप कुमार गुप्ता, निवासी भकान नं. 1722, सैक्टर-14, हिसार तहसील व जिला हिसार।

प्रवाचक

समीप उपायुक्त एवं
प्रथम अपीलट अथोरिटी,
हिसार।

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hissar
(Haryana)

RIGHT TO
INFORMATION

STATE INFORMATION
SCO NO. 70-71 (1ST FLOOR) & 114-11
TELEPHONE NO. 0172-2720114
Email : ussichry@yahoo.co.in

HARYANA
CHANDIGARH-160009.
No. 0172-2783834.
cicharyana.gov.in

To

No. /SIC/2020/1-IA

10454

Asstt (S)
Rohit

1. State Public Information Officer,
O/o Deputy Commissioner, Hisar.
Email id, spiodchsr@gmail.com
2. State Public Information Officer,
O/o District Red Cross Society,
Hisar. Email id. ircs.hissar@gmail.com
3. Dr. Sandeep Kumar Gupta
R/o House No:- 1722, Sector-14, Hisar-125001.
(M):- 099929-31181. E MAIL ID:- drsandgupta@gmail.com

Receipt No. 23

21/5/21

Dated Chandigarh the 29/4 2020

Subject:- Complaint Case No. 591 of 2020- under section 18(2) of the RTI Act, 2005.

This is with reference to the Commission's letter No. 19331 dated 14.10.2020, on the subject cited above.

I am directed to forward herewith a copy of the order dated 31.3.2021, passed by this Commission in the above noted case for information of the appellant and the respondent.

Assistant Registrar
for State Information Commission,
Haryana

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)



STATE INFORMATION COMMISSION, HARYANA
SCO NO.114-115, SECTOR 8-C, CHANDIGARH
RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

COMPLAINT NO. 591 of 2020

Complaint under Section 18(2) of the RTI Act, 2005

Relevant facts emerging from the complaint are as under:-

Name of the Complainant	Dr. Sandeep Kumar Gupta, R/o H. No. 1722, Sector-14, Hisar 125001. Mob: 9992931181.
Name of the Respondents	1. State Public Information Officer o/o D.C. Hisar. 2. State Public Information Officer o/o Distt Red Cross Society, Hisar.
RTI application filed on	SPIO 12-06-2020
SPIO replied on	--
Complaint filed on	28-07-2020
Date of Hearing	31-03-2021 at 11 AM
State Information Commissioner	Sh. Jai Singh Bishnoi.
Present	1. Sh. Sandeep Dundwal, XEN, MC Hisar. 2. Appellant through audio.

ORDER:-

The complainant has filed the complaint dated 28-07-2020 under Section 18 (2) of the Right to Information Act, 2005 against the respondent on the ground that in response to his RTI application dated 12-06-2020 no information has been furnished by the SPIO. He also prayed for initiation of penal action against the respondent SPIO.



**RIGHT TO
INFORMATION**

- 2. Notices of the complaint were issued to both the parties for hearing.
- 3. Upon notices, the written reply has not been filed by the respondent SPIO.
- 4. Heard. The Commission has also perused the entire documents available on the case file carefully. Complainant has given in writing that he does not want to pursue the present complaint. He further requested that to close the present case.
- 5. In view of the above, Commission decides to close the present complaint case.

Announced. To be communicated.

Place: Chandigarh
Dated: 31-03-2021

(Jai Singh Bishnoi)
State Information Commissioner,
Haryana.

Secretary
Indian Rights Group Society
Distt. Branch, Meerut
(Haryana)

पंजीकृत-पत्र

प्रेषक -

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

प्रेषित -

डॉ० संदीप कुमार गुप्ता,
मकान नं.-1722, सैक्टर-14
हिसार-125001

क्रमांक: आर.सी./आरटीआई/2021-22/224

दिनांक17-6-21

विषय:

Appeal Case No. 1775 of 2021- Under Section 19(3) of RTI Act-2005.

संदर्भ:

माननीय राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा के पत्र क्रमांक-10343/SIC/2021/1-A
दिनांक-28/04/2021,

उपरोक्त विषय पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा के आदेश दिनांक-22/03/2021 की अनुपालना में आपके आर.टी.ए. पत्र दिनांक-13/06/2021 के तहत मांगी गई सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

Palhu

संलग्न- पेज नं.-01 से 17

o/c

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

पृ० क्रमांक- आर.सी./आरटीआई/2021-22/225-36

दिनांक17/06/21

1. इसकी एक प्रति श्री जय सिंह बिश्नोई, माननीय राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा एस.सी.ओ. नं. -70-71/114-115 सैक्टर-8सी चण्डीगढ़ की सेवा में उनके उक्त संदर्भाधीन पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. इसकी एक प्रति उपायुक्त एवं प्रधान प्रथम अपीलैट अथोरिटी हिसार की सेवा में उनके पत्र क्रमांक-701/पी.बी.-1 दिनांक-17/05/2021 के संदर्भ में प्रेषित है।

Palhu

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

o/c

R
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hissar
(Haryana)

दस्तावेज तालिका

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
1.	उपायुक्त महोदया का पत्र (701 दिनांक-17/05/2021)	01
2.	माननीया राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा पत्र क्रमांक-10343/एसआईसी/2021/1-आईए दिनांक-28/04/2021 (अपील केस नं.-1775 ऑफ 2021)	02-05
3.	डॉ. संदीप कुमार गुप्ता, पत्र दिनांक-13/06/2020 (Seeking of information under RTI Act)	06-07
4.	जन सूचना अधिकारी-कम-सचिव, जिला रैडक्रास सोसायटी हिसार का पत्र क्रमांक-770 दिनांक-27/08/2020 व संलग्नित दस्तावेज	08-17

Receipt No. 22
Date 21/5/21

प्रेषक

उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेंट अथोरिटी,
हिसार ।

Asstt(S)
Rahla

प्रेषित

सचिव,
जिला रैडक्रास सोसाईटी हिंसार ।

क्रमांक 201 / पी0बी0 दिनांक 17/5/21

विषय : Appeal Case No. 1775 of 2020 under section 19(3) of the RTI Act, 2005.

उपरोक्त विषय पर राज्य सूचना आयोग हरियाणा के नोटिस क्रमांक 10343/एस. आई.सी./2021/1-1ए दिनांक 28-04-2021 जो आपको भी-प्रेषित है के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में आपको लिखा जाता है कि माननीय राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा के आदेश दिनांक 22.03.2021 (छायाप्रति सलंगन) की पालना करना सुनिश्चित करे ।

कृते: उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेंट
अथोरिटी, हिंसार ।

पृ0 क्रमांक / पी0बी0 दिनांक
इसकी एक प्रति श्री जय सिंह बिश्नोई, माननीय राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा एस0सी0ओ0न0 70-71/114-15 सैक्टर 8 सी चण्डीगढ को उनके उक्त सन्दर्भाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

कृते: उपायुक्त एवं प्रथम अपीलेंट
अथोरिटी, हिंसार ।

Rahla
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

R
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)



STATE INFORMATION COMMISSION, HARYANA
SCO NO. 70-71 (1ST FLOOR) & 114-115, SECTOR 8-C, CHANDIGARH-160009.
TELEPHONE NO. 0172-2720114, 2720115 FAX No. 0172-2783834.
Email : ussichry@yahoo.co.in, Website : www.cicharyana.gov.in

Reader/
Soc. Red Cross
[Signature]

DC
29/4/21

To No. 10343 /SIC/2021/1-IA

1. State Public Information Officer,
O/o District Red Cross Society, Red Cross Bhawan,
Hisar. Email id. dchr@hry.nic.in
2. First Appellate Authority,
O/o District Red Cross Society, Red Cross Bhawan,
Hisar. Email id. dchr@hry.nic.in
3. Dr. Sandeep Kumar Gupta,
R/o H.No. 1722, Sector-14,
Hisar-125001. (M) 9992931181.
Email id. sandeepguptahsr@gmail.com

Dated Chandigarh the 28/4/2021.

Subject: - Appeal Case No. 1775 of 2021—under Section 19(3) of the RTI Act, 2005.

This is with reference to the Commission's letter No. 5689 dated 5.3.2021, on the subject cited above.

I am directed to forward herewith a copy of the order dated 22.3.2021, passed by this Commission in the above noted case for information of the appellant and immediate compliance at the level of the respondent under intimation to the Commission.

[Signature]
Asst. Registrar
for State Information Commission,
Haryana.

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Hisar
(Haryana)

2 39

STATE INFORMATION COMMISSION, HARYANA
SCO NO.114-115, SECTOR 8-C, CHANDIGARH
APPEAL CASE NO.1775 of 2021



RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005-UNDER SECTION 19(3)


Relevant facts emerging from the 2nd appeal are as under:-

Name of the Appellant	Dr. Sandeep Kumar Gupta, R/o H. No.1722, Sector-14, Hisar-125001. M-9992931181
Name of the Respondents	1. State Public Information Officer O/o District Red Cross Society, Red Cross Bhawan, Hisar. 2. First Appellate Authority O/o District Red Cross Society, Red Cross Bhawan, Hisar.
RTI application filed on	SPIO 13.6.2020
SPIO replied on	27.8.2020
1 st Appeal filed on	17.9.2020
1 st appeal decided on	--
2 nd appeal filed on	7.12.2020
Date of Hearing	22.3.2021 at 11.00 AM
State Information Commissioner Present	Sh. Jai Singh Bishnoi.
	No. 3

ORDER:-

This Appeal case No.1775 of 2021 has come up for hearing before the Commission.



Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar

2. In brief, facts of the case are that the appellant has filed the 2nd appeal dated 7.12.2020 on the ground that in response to his RTI application dated 13.6.2020 incomplete information has been provided by the SPIO despite filing of the 1st appeal. He prayed that respondent be directed to furnish the complete information to him. He also prayed for initiation of penal action against the respondent and compensation for him.


2. Notices of appeal under Section 19 (3) of the RTI Act, 2005 were issued to both the parties for hearing.

3. Neither the respondents have put in appearance nor filed their written reply. The appellant also remained absent despite our due notice to him. No fruitful purpose would be served by adjourning the case. Hence, the Commission decides to dispose of the present appeal on merits.

4. The Commission has perused the entire documents made available on the case file carefully. From the perusal of file, it reveals that SPIO has provided the requisite information to the appellant vide letter dated 27.8.2020, but the appellant is not satisfied with it.

5. In view of the aforesaid facts and circumstances of the case, the appeal stands disposed of with the following directions:-

- (i) the SPIO-cum-Secretary, District Red Cross Society, Hisar shall again provide a complete point-wise information duly attested, to the appellant within fortnight free of cost through registered post, under intimation to the Commission.



Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)



Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar


- (41)
- (ii) After receiving the information from the respondent SPIO, the appellant is advised to go through the same and send a rejoinder, if need be, to the SPIO pointing out the specific deficiencies, if any, within 15 days from the receipt of information.
- (iii) After receiving the rejoinder from the appellant, the respondent SPIO shall make up those deficiencies and provide the amended information, if any, to the appellant within next two weeks, under intimation to the Commission.
- (iv) Non compliance of this order would attract the penal proceedings under Section 20(1) of the Act against the respondent SPIO.

Announced. To be communicated.

Place: Chandigarh
Dated: 22.3.2021


(Jai Singh Bishnoi)
State Information Commissioner,
Haryana.


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

(6) (42)

APPLICATION U/S 6(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

To

State Public Information Officer, District Red Cross Branch,
Red Cross Bhawan, Hisar-125001

Subject: Seeking of information under RTI act

Kindly supply the following information:

1. Please supply the certified information as required to be published by your office under section 4(1)(b) of the RTI act. The information be supplied for the period since 01.04.2018 till the date of supplying it. This is to inform that the information available on website www.hisar.gov.in is highly incomplete and is not complete disclosure as mandated by Section 4 (1)(b) of the RTI act.
2. Bank account details (account number, account holder name, bank name, IFSC code) in which the amounts collected as application fee or as additional fee under RTI act are deposited by your office.
3. Certified details of the SPIOs/AAs appointed under RTI act to deal with the applications received in your office.
4. Please supply the certified copy of the documents showing procedure followed (proposals, file noting, advertisements, tenders, quotations, proceedings, minutes, correspondence, orders, allotment letters etc) for allotment of parking space of Red Cross Bhawan, Hisar. The information may be supplied for the period since 01.04.2019.
5. Please supply the certified copy of the terms and conditions of the allotment of the parking space as mentioned in the Para I above.
6. Please supply the map of the Vishwakarma Dharmshala, Hisar (adjacent to Red Square Market) and copy of letter of allotment for land for this Dharmshala.
7. Whether shops built by Vishwakarma Dharmshala (as mentioned in para III) are legal or not? Provide documents in this regard. If illegal, then action taken in the matter. If no action taken, name and designation of officials who are responsible to take action

While applying for driving license in Hisar, every applicant is asked to pay an amount of Rs 400/- on account of getting First aid training. In this regard, please supply the following information against point 8, 9 and 10:

R. K. Sharma
Secretary

R.
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch
Hisar

7 43

- 8. Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for two-wheeler is required to get first aid training.
- 9. Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for motor car is required to get first aid training.
- 10. Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for LMV-NT-Car is required to get first aid training.

The prescribed Application Fee of Rs.10.00 is enclosed by way of IPO payable at Hisar, which may be filled in as per rules of your office. The intimation regarding any further additional fee may be sent by email at sandeepguptahsr@gmail.com and by telephonic message. The information if possible be sent by email or by speed post or registered post for which the applicant agrees to pay postal expenses.

Regards,

Sandeep

Dr Sandeep Kumar Gupta,
House No 1722, Sector 14,
Hisar-125001, Phone: 99929-31181

Dated: 13.06.2020

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
INDIAN IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



संदीप कुमार गुप्ता
Sandeep Kumar Gupta
जन्म तिथि/ DOB: 04/04/1976
पुरुष / MALE



पता: Address:
C/O. हाउस न 1722. 14- C/O. House No 1722, Sector 14-p,
हीसार, हीसार, हीसार, Hisar, Hisar, Hisar,
हरियाणा - 125001 Haryana - 125001
हरियाणा - 125001

8270 4052 3961

8270 4052 3961

आधार-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Sandeep
Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

S
Secretary
Indian Red Cross Society

प्रश्नक -

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

8 (11)

प्रेषित -

श्री संदीप कुमार गुप्ता,
मकान नं.-1722, सेक्टर-14
हिसार-125001

पत्र क्रमांक-RC/2020-21/970 दिनांक 27/8/2020

विषय : Seeking of information under RTI act.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप द्वारा मांगी गई वांछित सूचना निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Particulars	Answer
2.	Bank account details (account number, account holder name, bank name, IFSC code) in which the amounts collected as application fee or as additional fee under RTI act are deposited by your office.	कृप्या इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करे कि आप द्वारा संस्था के खाते का विवरण किस उद्देश्य से मांगा जा रहा है।
3.	Certified details of the SPIOs/AAs appointed under RTI act to deal with the applications received in you? office	जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव जिला रेडक्रास सोसायटी हिसार।
4.	Please supply the certified copy of the documents showing procedure followed (proposals, file noting, advertisements, tenders, quotations, proceedings, minutes, correspondence, orders, allotment letters etc) for allotment of parking space of Red Cross Bhawan, Hisar. The information may be supplied for the period since 01/04/2019.	संलग्न - 1. उपायुक्त महोदय की स्वीकृति-पेज नं.-1 2. अलॉटमेंट पत्र- पेज नं.-2 3. रेडक्रास भवन के सामने की जगह।
5.	Please supply the certified copy of the terms and conditions of the allotment of the parking space as mentioned in the Para I above.	क्रमांक सं.-02 में दे दिया है।
6.	Please supply the map of the Vishwakarma Dharmshala, Hisar (adjacent to Red Square Market) and copy of letter of allotment for land for this Dharmshala.	सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
7.	Whether shops built by Vishwakarma Dharmshala (as mentioned in para III) are legal or not? Provide documents in this regard. If illegal, then action taken in the matter If no action taken, name and designation of officials who are responsible to take action.	सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

Secretary
Indian Red Cross Society.

Secretary
Indian Red Cross Society

9 45

	While applying for driving license in Hjsar, every applicant is asked to pay an amount of Rs 400/- on account of getting First aid training. In this regard, please supply the following information against point 8, 9 and 10	
8.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving licence for two-wheeler is required to get first aid training.	1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ का पत्र-पेज नं.-03
9.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for motor car is required to get first aid training.	2. उपायुक्त महोदय की स्वीकृति-पेज नं.-4 व 5
10.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for LMV-NT-Car is required to get first aid training.	3. भारतीय रेडक्रास सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ का पत्र-पेज नं.-06

यह सूचना क्र.सं.-08, 09 व 10 से संबंधित है।

संलग्न पेज नं.-01 से 06

Postal order Receipt No. 82964
27/07/2020

Rishi

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

क्रमांक

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. नगराधीश एवं जन सूचना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त हिसार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. राज्य जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव, भारतीय रेडक्रास सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ को पत्र क्रमांक-94 दिनांक-27/07/2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,
जिला रेडक्रास सोसायटी, हिसार।

Rishi

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

भारतीय रैडक्रास सोसायटी जिला शाखा हिसार

10 11 46

विषय: रैडक्रास परिसर में स्थित पार्किंग स्थल को देने बारे।

रैडक्रास भवन के गेट नं.-2 के अंदर पार्किंग स्थल बनाया हुआ है। जिसको पिछले 3 वर्ष से सर्वोदय हस्पताल व सीएमसी हस्पताल को दी हुई है। जून 2016 से 30 मई 2017 तक का पार्किंग स्थल का किराया 3 लाख 20 हजार रुपये पर दी हुई थी। उपरोक्त पार्किंग स्थल देने बारे तत्कालीन उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति (पताका-क) के अनुसार।

जून 2017 से आगे के लिये यह पार्किंग स्थल लेने बारे सर्वोदय हस्पताल व सीएमसी हस्पताल से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि रैडक्रास भवन के सामने नया पुल बन रहा है। जिसके कारण सामान्य सड़क पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तथा अनुरोध किया है कि आगे भी यह पार्किंग स्थल उपरोक्तवर्णित दोनों हस्पतालों को उपलब्ध करवा दिया जाए। उपायुक्त एवं प्रधान महोदय उचित समझे तो पिछले वर्ष दी गई राशि पर 10% वृद्धि के साथ-साथ टीडीएस इत्यादि अलग से वहन करना होगा व सर्वोदय हस्पताल एवं सीएमसी हस्पताल को पूर्व स्वीकृति एवं नियम/शर्त के अनुसार आगामी 3 वर्ष के लिए दे दिया जाए। इस पार्किंग के रख-रखाव हेतु खर्च होता है तो वह उपरोक्त हस्पताल वहन करेगा तथा इसको चलाने हेतु जो भी कर्मचारी इत्यादि की आवश्यकता होगी तो उपरोक्त दोनों हस्पताल स्वयं जिम्मेवार होंगे।

स्वीकृति एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Rahim
30/05/17
सचिव

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

[Handwritten Signature]

उपायुक्त के रूप कार्यलय में फाइल में
संस्था में वापिस प्राप्त हो किंग
06/09/2017 का।

DTO for n/a.

[Handwritten Signature]

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

Rahim
06/09/17.

[Handwritten Signature]

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar

103-Parking

CONSTITUTED UNDER INDIAN PARLIAMENT ACT XV OF 1920
 DISTRICT BRANCH HISAR (HARYANA)

PRESIDENT : Deputy Commissioner, Hisar
 SECRETARY : Ravinder Kumar

Phone No. : 01662-225097
 Website : redcrossharyana.org

RED CROSS BHAWAN
 DELHI ROAD, HISAR-125001

Email : ircs.hissar@gmail.com

No. RC/.....
 सेवा में,

Dated ...

प्रबन्धक
 सर्वोदय सम्मत्तान हिमा।
 एवं
 योग्यामी हम्मत्तान हिमा।

विषय : रैडक्रास परिसर में स्थित पार्किंग बारे।

उपरोक्त विषय को संदर्भ में उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति अनुसार आपको रैडक्रास में स्थित पार्किंग एक वर्ष के लिए (1.6.2019 से 31.5.2020) तक दी हुई है। इस पार्किंग में निम्न अनुसार देखरेख व अन्य सुविधा की आपकी जिम्मेदारी होगी।

1. यह है कि यह पार्किंग किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं करेंगे।
2. यह है कि मैं उपायुक्त, हिमा जग निर्धारित शुल्क साईकल/बिशा 5/- रुपये, मोटरसाईकल/स्कूटर - 10/- रुपये, कार- जीप व मध्यम वाहन 20/- रुपये लूंगा। दर लिफ्ट पार्किंग स्थल पर लगाता होगा।
4. यह है कि मैं सचिव, जिला रैडक्रास योग्यामी, हिमा द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग का कार्य करूंगा। पार्किंग स्थल से बाहर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पार्किंग स्थल से संबंधित नहीं करेंगे।
5. यह है कि पार्किंगकी अवधि के दौरान बहन कारवाही से होने होने को पूरा जिम्मेदारी आपकी होगी।
6. यह है कि पार्किंगकी अवधि के दौरान बहन कारवाही/आम जनता व कारोबारी से किसी प्रकार का अपराध व्यवहार करने तथा इसमें दोषी पाए जाने पर सचिव, जिला रैडक्रास योग्यामी, हिमा को किसी भी समय पार्किंगबन्द करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा।
7. यह है कि पार्किंग की समय अवधि समाप्त होते ही यह पार्किंग स्थल खाली करनी होगी।
8. पार्किंग स्थल की जाफ सफाई स्वयं रखनी होगी। इसके अतिरिक्त जो भी जागह पार्किंग स्थल के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी उससे अलग कोई भी जागह पार्किंग के लिए प्रयोग नहीं करेंगे।
11. पार्किंग स्थल के अंदर खड़े याहनों आदि की चोरी/नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसमें रैडक्रास योग्यामी, हिमा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. पार्किंग स्थल में खड़े होने वाले याहनों की निर्धारित दरों के अनुसार ही उनसे शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा यदि ज्यादा शुल्क लिया जाता है तो होने वाली कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
13. पार्किंग की समय अवधि के दौरान किसी प्रकार के न्यायिक/पुलिस विवाद का जिम्मेदारी आपको की रहेगी।
15. इस पार्किंगसे संबंधित जो भी कोई भी सरकारी/गैर सरकारी कर/फीस की देयता बनती है, उसे बहन करने व संबंधित विभाग को जमा करवाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
16. किसी भी विवाद पर उपायुक्त एवं प्रधान महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

Dr. ... POPLI C.E.D.

A.R. ...

Fakhri
 सचिव

R

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
TRANSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH
परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

At SDMs-(e)-cum Registration and
Licensing Authorities
in the State.

17334-94


Memo No. AT-3/ST-1

Dated: 28-3-17

Subject: First Aid Training for drivers.

Please refer to St. John Ambulance (India) Haryana State
letter No. St.John/2016-17/3517 dated 03.02.2017 on the subject cited
above.


In this regard, it is apprised that first aid training is
mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per
the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana
Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above
mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor licence.



for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.


Endsl. No. / 7395 AT-3/ST-1

dated: 28-3-17

A Copy of above is forwarded to State Secretary, St. John
Ambulance (India) Haryana State Center, Sector-16, Chandigarh for
information.


for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Gurgaon
(Haryana)


Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch, Gurgaon
(Haryana)

28/3/17
3.30 P.M.

48 49 4

पूर्व पृष्ठ से आगे :-

सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा चालक लाईसेंस हेतु एक दिवसीय प्राथमिक सहायता (Basic) प्रशिक्षण शिविर शुरू करने हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय से 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी फीस की स्वीकृति ले ली गई है। रैडक्रास की सदस्यता बढ़ाने हेतु अधिकारीगण उचित समझे तो इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को रैडक्रास वार्षिक सदस्य 100/- रुपये के साथ लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण फीस 300/- रुपये व रैडक्रास वार्षिक सदस्यता फीस 100/- रुपये कुल-400/- रुपये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से फीस व सदस्यता सहित लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है तथा इस बारे में उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा जिले के उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार, हांसी, बरवाला व नारनौंद को पत्र जारी किया जाना है। पत्र हस्ताक्षर हेतु साथ संलग्न है।

रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Rajesh Singh
6/9/19
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

सचिव

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

Rajesh
06/09/19.

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

1. A. B. 2. Put up to [unclear] [unclear]

Om
19/9

[Signature]

DTO/Acett

Rajesh

[Signature]

[Signature]

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch
(Haryana)

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch

सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) हिसार

विषय :

PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE

उपरोक्त विषय एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-183 दिनांक-12/02/2019 के तहत सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से पत्र व्यवहार करके सूचना मांगी गई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस नया व नवीनीकरण के लिए प्रोफेशनल प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण की अवधि बारे बताया जाए। इस संदर्भ में उनके कार्यालय पत्र क्रमांक-5804 दिनांक-22/02/2019 (पताका-क) के तहत इस जिला शाखा को लिखा है कि Proposal for the Rule For Basic First Aid Training for Driving License के प्रशिक्षण हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय जिला सेंट जॉन शाखा हिसार में एक दिन की बेसिक फर्स्ट प्रशिक्षण देने की अनुमति ली जा सकती है। यह प्रशिक्षण केवल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्य होगा तथा यह भी दर्शाया गया है कि प्राथमिक सहायता प्रोफेशनल प्रमाण-पत्र इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रार्थी को सेंट जॉन एम्बुलेंस (इण्डिया) राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा एक दिवसीय बेसिक फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने उपरांत जिला शाखा हिसार द्वारा प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र अपने लेवल पर जारी किया जाए। यह प्रमाण-पत्र केवल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ही होगा। इस प्रशिक्षण से संबंधित हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा एक प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र (पताका-ख) हेतु भेजा गया है, प्रोफार्मा का भी अवलोकन करने का कष्ट करें जोकि साथ संलग्न है, के अनुसार ही प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। उपरोक्त प्रशिक्षण जिला शाखा फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर व गुरुग्राम में भी शुरू किया हुआ है। राज्य शाखा द्वारा जारी पत्र (पताका-ग) संलग्न है।

अधिकारीगण उचित समझे तो एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण की फीस 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी जिसमें प्रमाण-पत्र की कीमत, प्रवक्ता का मानदेय शामिल होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक-1842-1863 दिनांक-03/07/2019 (पताका-घ) के तहत प्रवक्ता का मानदेय अधिकतम 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति से दिया जा सकता है। यह मानदेय 15/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रस्तावित किया जाता है। हरियाणा राज्य शाखा द्वारा फीस व मानदेय के बारे में और कोई हिदायत जारी होती है तो पुनः उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार के लिए रैडक्रास भवन हिसार, उपमण्डल अधिकारी (ना.) नारनौद व हांसी के लिए सहमति अनुसार हांसी व नारनौद में तथा उपमण्डल अधिकारी (ना.) बरवाला के लिए बरवाला में संबंधित उपमण्डल अधिकारी से सम्पर्क करके उचित स्थान देखकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

[Signature]
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

[Signature]
Secretary
Indian Red Cross Society
Dist. Branch Hissar
(Haryana)

[Signature]
26/08/19

[Signature]

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है

सचिव

(75) (6) (51)

THROUGH HUMANITY TO PEACE

OHN AMBULANCE (INDIA)

HARYANA STATE CENTRE

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
GOVERNOR, HARYANA
Vice-President
CHIEF MINISTER, HARYANA
Vice Chairman
Dr. Mukosh Aggarwal



State Secretary
D.R. Sharma
Phone (01) 0172 2543889, 2546330
Fax 0172-2546328
(R) 2747031
www.haryanaredcross.org
e-mail haryanastateredcross@gmail cc

St. John/Ruling/HR/2018-19/5804

Dated 22-02-2019

Secretary,
District St. John Centre,
Hisar (HR)

528
01/3/19
D.T.O
Rahim
01/03/19

Subject PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE.

- 1 Reference your office letter No. St. John/2018-19/183 dated 12-02-2019 on the subject cited above.
- 2 It is intimated that you may obtain permission from the Deputy Commissioner-cum-President, District St. John Centre, Hisar for the One Day Basic First Aid Training for the candidates who want to obtain Driving License only.
- 3 First Aid professional certificates will not be issued to the candidates of this training by the St. John Ambulance (India), National Headquarters, New Delhi. District St. John Centre, Hisar may issue Basic First Aid training certificates to the candidates for Driving License at their own level with the approval of Deputy Commissioner. A copy of the approval may also be sent to this office.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Hisar
(Haryana)

State Secretary

Secretary

ST. JOHN AMBULANCE (INDIA)
HARYANA STATE CENTRE
 RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
 GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
 THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman
 Dr. Mukesh Aggarwal

State Secretary
 D.R. Sharma

Phone : (C) : 0172-2543089, 2546330
 Fax : 0172-2546328
 (R) : 2747031
 www.haryanaredcross.org
 E-mail haryanastateredcross@gmail.com



Receipt No. 335
 Date... 27/9/19

Dated

731/EC/2019-20/

All the Deputy Commissioners-cum-Presidents,
 District St. John Centres in Haryana

Subject: Action taken on the minutes of the Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre held on 30th August, 2019.

It is intimated that Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre was held on 30th August, 2019 under the Chairpersonship of Hon'ble Governor-cum-President, St. John Ambulance (India), Haryana State Centre, Chandigarh. The minutes of the meeting are being sent separately to all the members of the Managing Committee for information and further necessary action. The action on the following point is to be taken by your goodself as per resolution. You are, therefore, requested to take action accordingly on the point mentioned below and action taken report may be sent to this office for compliance and onward submission to Hon'ble Governor-cum-President:-

Item No.	Proposal	Resolution
8.	वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण।	
	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि विश्व प्रतिदिन वाहनों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इसी संदर्भ में सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा से अनुरोध किया गया था कि सभी वाहनचालकों के लिए प्राथमिक सहायता को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके एवं घायल व्यक्ति को भी स्वयं को प्राथमिक सहायता देने में निपुणता हो और यह सड़क की हालत में न जाए।</p> <p>इस कार्यालय के अनुरोध पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 17334-94 AT-3/ ST-1 दिनांक 28.03.2017 से हरियाणा प्रदेश के सभी उप-नडेल अधिकारी (नाड) एवं पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों को वाहन चालक का लाइसेंस जारी करने पर प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया था।</p>	<p>राज्य सचिव सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र ने सदन को अवगत कराया कि एक दिवसीय प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सदन में विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया तथा यह भी पारित किया गया कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला केन्द्रों द्वारा प्रदत्त एक दिवसीय वेंसिक प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करके सेंट जॉन एम्बुलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को अवगत कराएंगे।</p>

Secretary
 Indian Red Cross Society
 Distt. Branch Hisar

Secretary
 Indian Red Cross Society
 Distt. Branch Hisar

Contd...2

Secretary

53

8

जॉन शाखाओं फरीदाबाद, फतेहबाद, गुरुग्राम, पानीपत, रिवाड़ी, शज्जर, कुरुक्षेत्र, मेवात, नारनौल द्वारा आईडिंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्तियों को दिवसीय वैसिक प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसको सम्बन्धित जिले के पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया है। कुछ जिलों में सम्बन्धित उप-मंडल अधिकारी (नाओ) एवं पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों ने यह कहा कि वे प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण को वाहन चालकों के लिए तभी अनिवार्य करेंगे जब प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं

लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल किया जाएगा। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा परिवहन आ्युक्त हरियाणा चन्डीगढ़ को पत्र क्रमांक St.John/Ruling/2018-19/4608 दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा सेंट जॉन एन्वेल्लिस हरियाणा एवं जिला केंद्रों द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करने वाले अनुरोध किया जा चुका है।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि परिवहन विभाग हरियाणा को सभी वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के प्रमाण पत्र को राज्य परिवहन के पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शीघ्र अतिशीघ्र शामिल किए जाने का अनुरोध किया जाए तथा चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के एक दिवसीय वैसिक प्रशिक्षण की पीस निम्नानुसार निर्धारित कर ली जाए-

1. दो तीन एवं चार पहिया वाहन चालकों के लिए पीस 300/-रुपए प्रति व्यक्ति।
2. प्रशिक्षण अवधि कम से कम चार तथा अधिकतम एक घण्टे।
3. वैसिक प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला सेंट जॉन केंद्र द्वारा जारी किया जाएगा।
4. वाहन चालकों को आईडिंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर प्राथमिक सहायता का वैसिक प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।

..... सूचनाएं एवं अनुरोधनाएं

Honorarium to the Lay Lecturers has been fixed @ Rs. 15/- per candidate for this one day basic First Aid training. The specimen of the Certificate for this One Day Basic First Aid Training to be issued by the District St. John Centre is also enclosed.

540
State Secretary

Copy to 3237-3258

dt 17/09/2019

All Hony. Secretaries, District St. John Centres in Haryana for information and compliance. It should be ensured that number of candidates in a batch should not be more than 30-40. Before issuing certificates, the Lay Lecturer will verify the list of candidates after putting his/her seal and signature upon the list. After then the certificate will be signed by the District Training Officer or Incharge of St. John if the post of DTO is vacant. It should be ensured if any district will breach the terms and conditions, then the Hony. Secretary, District St. John Centre will be fully responsible and answerable the same.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Panch - Hisar

State Secretary

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Panch - Hisar

Secretary